ग्रपने गन्तव्य स्थान पहुंची। तिनसुखिया मेल दिल्ली स्टेशन पर चौदह घंटे 20 मिनट लेट पहंची । उस में संसद सदस्य श्री हरिनाथ मिश्र जी के साथ मैं भी याता कर रहा था। हम दोनों ने समझा था कि डिलक्स के बजाय तिनस्किया मेल से चलने से विलम्ब होने पर भी हम लोग लोक सभा की बैठक शुरू होने तक पहुंच जायेंगे क्योंकि उसका नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने का हमय 5.20 बजे सवेरे है। मुझे भागलपूर जेल के विचारा-धीन बंदियों की ग्रांख फोड़ने सम्बन्धी घटना पर स्वीकृत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई वहस में हिस्सा लेना था । वह गाड़ी सबेरे के बजाय साढ़े सात बजे राब्रि में दिल्ली पहुंची ।

यह स्थिति बड़ी ही निन्दनीय है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर लोकसभा में विचार होना स्रावश्यक है। इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए।

(vii) RE. JOB AND OTHER RESERVATIONS FOR BACKWARD CLASSES

श्री जयपाल सिंह कदयप (ग्रांवला) : भारत में 60 प्रतिशत से श्रधिक पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो सामाजिक ग्रौर शेक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं । उनके उद्योगधंधे जो इस देश की रीढ़ हैं, वे ग्रधिक महत्व न दिये जाने के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। यहां के बीवर, झीवर, निषाद, मल्लाह, केवट, भोई, कीर, रायकवार, ग्रहीर, काछी, मोराग्रो गढ़रिया, कुर्मी, कुम्हार, नाई, तेली, बढ़ई, लोहार, लोधी, किसान ग्रादि सदैव से ग्रपने परम्परागत धंधों में लगे हैं, लेकिन ग्रार्थिक श्रीर सामाजिक शोषण के कारण देश की सामाजिक ग्रीर ग्रार्थिक व्यवस्था में बहुत ही पिछड़े हैं। भारतीय संविधान में इनको विशेष मुविधाएें देने की व्यवस्था ग्रनुच्छेद 15(4), 16(4) ग्रीर 340 के अनुसार शिक्षा, धंधों व सरकारी सेवाग्रों में ग्रारक्षण देने की व्यवस्था की गई है ग्रीर यह व्यवस्था है कि जिन पिछड़े वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में सही प्रतिनिधित्व न पायें हों उनको केन्द्रीय भीर राज्य सेवाओं में भारक्षण दिया जायेगा । इस तरह की रिपोर्ट काका कालेलकर कमीशन जो पिछड़ा वर्ग स्नायोग के नाम से जाना जाता है वह कई साल पहले दे चुका है। परन्तु ग्रभी तक पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाग्रों में ग्रारक्षण केन्द्र की सरकार ने नहीं दिया है जिससे इन लोगों को सरकारी नौकरियों में जाकर देश की सेवा करने का ग्रवसर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हं कि भारतीय संविधान के उपरोक्त प्रावधानों के म्राधार पर पिछडा वर्ग, सर्वाधिक पिछडा वर्ग को स्राबादी के स्रनुपात से स्रारक्षण देने की व्यवस्था की जाए ग्रीर सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई नोटिफिकेशन जारी करे।

12.25 hrs.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH). Mr Deputy-Speaker. I beg to movet:

"That the Bill to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

The Public Premises (Eviction Unauthorised Occupants) Act, 1971, was enacted mainly to provide for speedy and summary eviction of unauthorised occupants from public premises. During the course of its operation, certain difficulties were experienced which were sought to be removed by an amendment Bill introduced in the Rajya Sabha on 24-8-1976. Simultaneously, a review was undertaken by the Government in respect of the working of various provisions of the Act. As a result of this review. a few more amendments, not covered by the amendment Bill, were consi-

[†]Moved with the recommendation of the President.